

न्यायालय:- दीप्ती बरवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

संक्षिप्त विचारण अभिलेख
(दं.प्र.सं. 1973 की धारा 263 एवं 264 के तहत)
—::समरी शीट::—

आप0प्र0क0 / सी.आई.एस.क.....242.. / 2022
आरक्षी केन्द्र भूपदेवपुर
अप0 क0 ...105... / 2022

अपराध किए जाने की तारीख16.09.2022...
रिपोर्ट या परिवाद की तारीख16.09.2022...
परिवादी का (यदि कोई हो) नाम-राज्य की ओर से थाना/ चौकी भूपदेवपुर,
जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

// अपराध विवरण //

मैं दीप्ति बरवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया
जिला-रायगढ़(छ0ग0)

आप अमरलाल यादव आ0 श्री संतराम यादव, उम्र- 45 वर्ष,
साकिन- गढ़कुरी, थाना-भूपदेवपुर, जिला-रायगढ़ छ0ग0 पर निम्न अपराध विरचित
करती हूँ :-

कि, घटना दिनांक 16.09.2022 को समय 17:05 बजे स्थान ग्राम
गढ़कुरी मेन रोड किनारे सार्वजनिक स्थान के पास, थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़
छ0ग0 क्षेत्रांतर्गत जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में मदिरा पान किया, जो
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(च)(1) के तहत दंडनीय अपराध
है और इस न्यायालय की सुनवाई के क्षेत्राधिकार में है, क्या आपको जुर्म स्वीकार है
अथवा विचारण चाहते हैं।

सही /—
(दीप्ति बरवा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरसिया जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो):-

सही /—
(दीप्ति बरवा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरसिया जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

—:निर्णय:—

(आज दिनांक12...11....2022..... को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरुद्ध थाना भूपदेवपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(च)(1) के तहत अभियोग—पत्र पेश किया गया है।
- 2— अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकार करना व्यक्त किया गया है। अतः अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से की गई जुर्म स्वीकारोक्ति को देखते हुये प्रकरण का संक्षिप्त विचारण कर अभियुक्त को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(च)(1) के तहत न्यायालय उठने तक की सजा और 1000/— (एक हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 3— अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि अदा करने पर उसे तत्काल रिहा किया जावे।
- 4— प्रकरण मे जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावेगा।

स्थान— खरसिया

दिनांक— 12.11.2022

निर्णय हस्ताक्षरित दिनांकित
कर खुले न्यायालय में घोषित

निर्णय मेरे बोलने पर
टंकित किया गया।

सही/—
(दीप्ति बरवा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरसिया जिला—रायगढ़ (छ0ग0)

सही/—
(दीप्ति बरवा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरसिया जिला—रायगढ़ (छ0ग0)